(91)

COURT FEE
भारत INDIA
बीस रुपये TWENTY RUPEES

समक्ष : न्यायायल श्रीमान् राजस्व मंडल भोपाल संभाग भोपाल म.प्र.(जिला विदिशा)

म/पुनर्स्थापन/विदिशा/भू.रा/2018/0341 प्रकरण कंमाक ....

बालाप्रसाद यादव आत्मज मंशाराम यादव आयु – 64 वर्ष

निवासी –ग्राम खेरूआ तहसील गुलाबगंज जिला

विदिशा म.प्र. .... आवेदक/अपीलार्थी

अभिभावक श्री रुपेश यादव
द्वारा आज 18/12/17
को पेश। 18-12-17
अधीक्षक

विरूद्व

भगवती प्रसाद आत्मज बलदेव प्रसाद आयु – 70 वर्ष

निवासी – ग्राम खेरूआ तहसील गुलाबगंज जिला

विदिशा म.प्र. .... अनावेदक/प्रतिप्रार्थी

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 35[04] म.प्र.भू – राजस्व संहिता

अपीलार्थी की ओर से निम्न निवेदन है कि :–

1. यह कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा अपील प्रकरण कंमाक – 19/अपील/13–14 में एक आवेदन पत्र अतंर्गत धारा 35[03] म.प्र. भू – राजस्व संहिता का प्रस्तुत किया गया था। तथा आवेदन पत्र के साथ अपीलर्थी द्वारा धारा 05 परिसीमा अधिनियम तथा आवेदन पत्र के समर्थन में शपथपत्र भी प्रस्तुत किया गया था।

2. यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक के उपरोक्त आवेदन पत्र पर दिनॉक 28.11.2017 को आदेश पारित किया जाकर आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया गया जबकि माननीय अधिनस्थ न्यायालय को आवेदक द्वारा प्रस्तुत धारा 05 परिसीमा अधिनियम का निराकरण पूर्व में करना था। इसकारण से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसंगत नही होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

3. यह कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उसमें उल्लेखित किया गया है कि विंलब का कोई ठोस आधार प्रस्तुत नही किया गया जबकि अपीलार्थी द्वारा स्पष्ट रूप से आवेदन पत्र में उल्लेखित किया गया था कि उसके पूर्व अधिवक्ता द्वारा उसे पेशी दिनॉक कि जानकारी नही दि गई और इसकारण से प्रकरण अद्‌म परैवी में निरस्त हो गया। जबकि आवेदक को दिनॉक 31.08.2017 को अधिनस्थ न्यायालय में आकर संबधित बाबजी से ज्ञात हुआ कि

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/पुनर्स्थापन/विदिशा/भू.रा./2018/0341 **जिला** – विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17.01.2018	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील दिनांक 13.06.2017 को आवेदक एवं उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में निरस्त की गई। इस आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत पुर्नस्थापन आवेदन अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त किया है। उन्होंने अपने आदेश में स्पष्ट किया क है कि आवेदन काफी विलंब से प्रस्तुत किया गया है और आवेदक द्वारा विलंब का कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस न्यायालय के समक्ष भी आवेदक द्वारा विलंब के संबंध में कोई समुचित समाधानकारक कारण नहीं बताया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती हैं। प्रशासकीय सदस्य	